

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

\* अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित

\* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-05/11/19

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष- 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें, उप मुख्य शीर्ष- 00-लघु शीर्ष- 090 -सचिवालय, उप शीर्ष- 0005-नगर विकास एवं आवास विभाग, विपत्र कोड- 48-2251000900005 के अन्तर्गत वेतानादि एवं अन्य विषय शीर्षों में कुल ₹8,79,37,000.00 (आठ करोड़ उनासी लाख सैंतीस हजार रु०) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष- 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें, उप मुख्य शीर्ष- 00-लघु शीर्ष- 090 -सचिवालय, उप शीर्ष- 0005-नगर विकास एवं आवास विभाग, विपत्र कोड- 48-2251000900005 के अन्तर्गत वेतानादि एवं अन्य विषय शीर्षों में कुल ₹8,79,37,000.00 (आठ करोड़ उनासी लाख सैंतीस हजार रु०) मात्र निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:-

क्र० सं०	बजट शीर्ष 2251 का विषय शीर्ष	बजट उपबंध	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	0005.01.01-वेतन	4,73,52,000.00	4,73,52,000.00
2	0005.01.03-जीवन यापन भत्ता	73,41,000.00	73,41,000.00
3	0005.01.04-मकान किराया भत्ता	62,72,000.00	62,72,000.00
4	0005.01.05-परिवहन भत्ता	18,22,000.00	18,22,000.00
5	0005.01.06-चिकित्सा भत्ता	6,84,000.00	6,84,000.00
6	0005.01.07-अन्य भत्ता	3,10,000.00	3,10,000.00
	योग(क)-वेतन एवं भत्ते	6,37,81,000.00	6,37,81,000.00
7	0005.05.01-पुरस्कार	6,000.00	6,000.00
8	0005.06.01-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	12,00,000.00	12,00,000.00
9	0005.11.01-यात्रा व्यय	12,00,000.00	12,00,000.00
10	0005.13.01-कार्यालय व्यय	25,00,000.00	25,00,000.00
11	0005.13.02-वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	20,00,000.00	20,00,000.00
12	0005.13.03-दूरभाष	5,00,000.00	5,00,000.00
13	0005.13.05-विधि प्रभार	20,00,000.00	20,00,000.00
14	0005.13.06-वर्दी/पोशाक	1,50,000.00	1,50,000.00
15	0005.16.01-प्रकाशन एवं मुद्रण	5,00,000.00	5,00,000.00
16	0005.20.01-आतिथ्य व्यय	1,00,000.00	1,00,000.00
17	0005.20.03-प्रशिक्षण व्यय	5,00,000.00	5,00,000.00
18	0005.28.02-संविदा सेवाएँ	1,25,00,000.00	1,25,00,000.00
19	0005.51.01-मोटर गाड़ी-कार्यालय	10,00,000.00	10,00,000.00
	योग (ख)	2,41,56,000.00	2,41,56,000.00
	कुल योग (क)+(ख)	8,79,37,000.00	8,79,37,000.00

(राशि रु० में)

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹8,79,37,000.00 (आठ करोड़ उनासी लाख सैंतीस हजार रु०) मात्र।

**इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।**

2. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-4 में स्वीकृत राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी। यह राशि, व्यय होते ही व्यय विवरणी बजट शाखा को उपलब्ध करा दी जाय।
3. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, एवं पत्रांक- 256, दिनांक- 26.02.2019 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।
4. स्वीकृत राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में की जायेगी।
5. स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर विपत्र कोड सं०- 48-2251000900005 मांग सं०-48 मुख्यशीर्ष/उप मुख्यशीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/समूह का स्पष्ट उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों के वर्गीकरण में त्रुटि की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
6. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक- 31.03.2020 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/मु०आ०-18-01/08 के पृष्ठ सं०-188/टि० पर दिनांक-03/04/2019 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-189/टि० पर दिनांक-03/04/2019 को प्राप्त है।
8. इस स्वीकृत्यादेश की प्रति वित्त (बजट शाखा) विभाग, कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना तथा विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/मु०आ०-18-01/08 02 /न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक-05/04/19  
प्रतिलिपि:-वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक को 2 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाय।

सरकार के विशेष सचिव।